vinetur

ब्रिटेन से थोक में आने वाली स्कॉच पर भारत ने लगाया 162.5% का प्रभावी शुल्क

सीमा-शुल्क विवाद में बंदरगाहों पर 80 से अधिक कंटेनर अटके हैं और भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का एक अहम वादा प्रभावित हुआ है

बुधवार, 18 नवंबर 2026



Reuters के अनुसार, भारत यूनाइटेड किंगडम से थोक में आयात की जाने वाली स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क और कर मिलाकर 162.5% का प्रभावी भार लगा रहा है। सीमा-शुल्क वर्गीकरण को लेकर विवाद से दोनों देशों के व्यापार समझौते के तहत किए गए एक प्रमुख वादे का लाभ कम होने का खतरा है।

Reuters ने बुधवार, 18 नवंबर को एक सरकारी दस्तावेज़ और मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले आठ लोगों के हवाले से बताया कि यह प्रभावी भार समझौते से पहले लागू 150% की दर से अधिक है। इस बदलाव का असर उन शराब कंपनियों पर पड़ता है जो स्कॉच का थोक में आयात करती हैं, भारत में उसका मिश्रण तैयार करती हैं और दुनिया के सबसे

बड़े व्हिस्की बाज़ारों में से एक में बेचती हैं।

विवाद थोक स्कॉच कंसन्ट्रेट पर केंद्रित है, अपने आप में बोतलबंद स्कॉच पर नहीं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को व्हिस्की के सभी आयातों पर व्यापक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। 15 जुलाई से लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत स्कॉच पर शुल्क घटाकर 75% कर दिया गया था। ब्रिटेन और उद्योग ने इस कटौती को Diageo और Pernod Ricard जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर बताया था, जो भारत के विशाल स्पिरिट बाज़ार पर निर्भर हैं।

Reuters के अनुसार, भारतीय जांचकर्ता अब तर्क दे रहे हैं कि थोक स्कॉच के कुछ आयातों का सीमा-शुल्क वर्गीकरण गलत किया गया है। उनका कहना है कि इन खेपों को "मिश्रित अल्कोहलिक तैयारियों" के लिए बनाई गई नई शुल्क श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जिसे मिश्रित व्हिस्की और इसी तरह के उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल माना जाता है। इस सीमा-शुल्क श्रेणी पर 150% शुल्क लगता है। स्थानीय उपभोग कर जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क बढ़कर 162.5% हो जाता है।

इस व्याख्या ने व्यापार समझौते से जुड़ा पहला बड़ा सार्वजनिक विवाद खड़ा कर दिया है। Reuters ने बताया कि मामले की जांच के दौरान Pernod Ricard, Diageo और Bacardi समेत कंपनियों के 80 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर रोक दिए गए हैं। प्रभावित खेपों में थोक स्कॉच के हज़ारों लीटर शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल भारत के व्यापक मध्यम बाज़ार के लिए उत्पाद बनाने में होता है। यहां मिश्रित व्हिस्की Chivas Regal या Johnnie Walker जैसी पूरी तरह आयातित प्रीमियम बोतलों की तुलना में काफी कम कीमत पर बिकती है।

Reuters के अनुसार, मात्रा के लिहाज़ से भारत स्कॉच का सबसे बड़ा बाज़ार है और ब्रिटेन से आयात की जाने वाली स्कॉच का लगभग 80% थोक में आता है। इसका बड़ा हिस्सा Indian-Made Foreign Liquor यानी IMFL में इस्तेमाल होता है। इस श्रेणी में थोड़ी मात्रा में स्कॉच को अन्य स्पिरिट के साथ मिलाया जाता है। बड़े उत्पादकों के लिए थोक स्कॉच की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है, ताकि कारखानों को माल मिलता रहे और खुदरा दुकानों की अलमारियां भरी रहें।

जांच जारी रहने के दौरान रोकी गई खेपों को छुड़ाने के लिए आयातक एक अंतरिम प्रक्रिया अपना रहे हैं। Reuters ने बताया कि कंपनियों को माल के मूल्य के बराबर 75% शुल्क पहले चुकाना होगा और बाकी देनदारी के लिए बैंक गारंटी देनी होगी। इससे खेपों को आगे बढ़ाना संभव होता है, लेकिन नकदी भी फंसती है और वित्तपोषण का दबाव बढ़ता है। यह खास तौर पर छोटी कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिन्हें गारंटी हासिल करने के लिए जमानत रखनी पड़ सकती है।

इसका असर बहुराष्ट्रीय समूहों से आगे भी फैल सकता है। Reuters के मुताबिक, मुंबई में सूचीबद्ध Radico Khaitan, Allied Blenders and Distillers और Tilaknagar Industries भी थोक स्कॉच आयात करती हैं और जांच के दायरे में हैं। Reuters से बात करने वाले अधिकारियों ने कहा कि सबसे बड़ी वैश्विक स्पिरिट कंपनियों जैसी मज़बूत बैलेंस शीट न रखने वाली कंपनियों के लिए गारंटी की शर्त से कार्यशील पूंजी पर दबाव पड़ सकता है और उत्पादन की योजना बनाना जटिल हो सकता है।

इस व्यापार विवाद ने भारत में विदेशी निवेशकों की एक पुरानी चिंता को भी फिर से सामने ला दिया है : वाणिज्यिक योजनाएं बन जाने के बाद सीमा-शुल्क और कर विवाद कारोबार की लागत बदल सकते हैं। भारतीय अधिकारियों का लंबे समय से कहना है कि वे घरेलू कानून लागू कर रहे हैं। हालांकि, कंपनियों का तर्क है कि वर्गीकरण से जुड़े फैसलों का पहले से अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है और वे आयात कारोबार की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बदल सकते हैं।

यह टकराव इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि 15 जुलाई के समझौते तक पहुंची बातचीत में व्हिस्की शुल्क सबसे कठिन मुद्दों में से एक था। ब्रिटिश अधिकारियों ने बार-बार स्कॉच को उन प्रमुख उत्पादों में गिनाया है जिन्हें इस समझौते से लाभ मिलने की उम्मीद है। Scotch Whisky Association का कहना है कि इस समझौते से पांच वर्षों में भारत को निर्यात

1.34 अरब डॉलर बढ़ सकता है।

ब्रिटेन भारत पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दबाव बना रहा है। Reuters को दिए बयान में ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री नई दिल्ली के साथ तत्काल काम कर रहे हैं, ताकि ब्रिटिश कंपनियां व्यापार समझौते में तय शुल्क दरों के तहत निर्यात कर सकें। भारत ने भी संकेत दिया है कि विवाद का समाधान किया जाएगा, हालांकि Reuters ने बताया कि 162.5% के प्रभावी शुल्क पर टिप्पणी मांगने के उसके अनुरोधों का वित्त मंत्रालय और कर प्राधिकरण ने जवाब नहीं दिया।

इस मतभेद के वित्तीय नतीजे पहले ही सामने आ चुके हैं। Reuters ने बताया कि सीमा-शुल्क विवाद पर उसकी रिपोर्ट के बाद लंदन में Diageo के शेयर 1.5% गिरे और फ्रांस में Pernod Ricard के शेयर 1.25% नीचे आए। मात्रा के लिहाज़ से भारत Pernod Ricard का सबसे बड़ा बाज़ार है, और Pernod तथा Diageo देश के स्पिरिट कारोबार की प्रमुख कंपनियां हैं।

संबंधित कंपनियों के लिए तात्कालिक मुद्दा कानूनी भाषा से कम और आपूर्ति तथा लागत से अधिक जुड़ा है। कई अधिकारियों ने Reuters को बताया कि व्यापार समझौते के तहत शुल्क घटकर 75% होने के बाद उन्होंने स्कॉच-आधारित कुछ उत्पादों की कीमतें कम कर दी थीं, लेकिन नए वर्गीकरण संबंधी तर्क लागू होने के बाद उन्हें कहीं अधिक आयात शुल्क का सामना करना पड़ा। उद्योग से जुड़े लोगों ने Reuters को यह भी बताया कि उन्हें सीमा-शुल्क व्यवस्था पर बहस की आशंका थी, लेकिन स्थानीय कर जुड़कर प्रभावी शुल्क को व्यापार समझौते से पहले के स्तर से ऊपर ले जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी।

Diageo ने Reuters को टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। Pernod Ricard और Bacardi ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। मामला सीमा-शुल्क और सरकारी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ रहा है, वहीं आयातक खेपों की आवाजाही जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं और शुल्क की उस व्याख्या को चुनौती दे रहे हैं जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे थोक स्कॉच के लिए समझौते का व्यावसायिक मूल्य कमजोर होता है।